

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 15, मंगलवार, श॥के 1948- मई 05, 2026 Vaisakha 15, Tuesday, Saka 1948- May 05, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 01, 2026

संख्या:10/भू.अ./ज.स./2026/617-621:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर का निर्माण एवं बिसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर तक फीडर निर्माण परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबन्धक, आर.डब्ल्यू.जी.सी.एल., पी.आई.यू. अजमेर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) REV-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली होंगे।

विवरण

महाप्रबन्धक आरडब्ल्यूजीसीएल पीआईयू अजमेर के अन्तर्गत मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर का निर्माण एवं बीसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर तक फीडर निर्माण परियोजना के निर्माण में आने वाली भूमि हेतु भूमिअर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत विवरण :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	मोर सागर	मोहनपुरा	फारकिया	नसीराबाद	अजमेर	अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी,
2	आर्टिफिशियल	बनेवडी	कानपुरा			
3	रिजर्वायर का निर्माण	फारकिया	फारकिया			
4	एवं बीसलपुर से मोर	तिहारी	तिहारी			
5	सागर आर्टिफिशियल	नबाब	तिलाना			

6	रिजर्वायर तक फीडर निर्माण परियोजना	श्रीनगर	श्रीनगर			बीसलपुर परियोजना, देवली
7	मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर का निर्माण एवं बीसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर तक फीडर निर्माण परियोजना	पाण्डरवाडा	धसूक	अराई	अजमेर	अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
8		आंकोड़िया	आंकोड़िया			
9		झिरोता	झिरोता			
10		मुण्डोती	आंकोड़िया			
11		गोपालपुरा	मण्डावरिया			
12		केरियाकला	मण्डावरिया			
13		मण्डावरिया	मण्डावरिया			
14		लांबा	लांबा			
15	मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर का निर्माण एवं बीसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर तक फीडर निर्माण परियोजना	लाम्बा हरिसिंह	नगरपालिकाक्षेत्र (लाम्बा हरिसिंह)	मालपुरा	टोंक	अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली
16		बिलेडा	नगरपालिकाक्षेत्र (लाम्बा हरिसिंह)			
17		देवल	नगरपालिकाक्षेत्र (लाम्बा हरिसिंह)			
18		कांटोली	कांटोली			
19		नयागांवगुजरान	कांटोली			
20		इन्दोली	इन्दोली			
21		नयागांवजाटान	इन्दोली			
22		रिण्डलियाबुजुर्ग	नगरपालिकाक्षेत्र (मालपुरा)			
23		ढिबरू	कांटोली			
24		टोरडी	टोरडी			
25		जनकपुरा	टोरडी			
26	मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर का निर्माण एवं बीसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल	कल्याणपुरा	बावड़ी	टोडारायसिंह	टोंक	अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी,
27		रामेश्वरपुरा	मेहरू			
28		बनकाखेड़ा	रिण्डलिया रामपुरा			
29		भासु	भासु			

30	रिजर्वायर तक फीडर निर्माण परियोजना	फलोलाव	कुकड़			बीसलपुर परियोजना, देवली
31		गागोलाव	नगरपालिका क्षेत्र (टोडारायसिंह)			
32		कुकड़	कुकड़			
33		मोर	मोर			
34		नयाबास	नगरपालिका क्षेत्र (टोडारायसिंह)			
35		रतवाई	नगरपालिका क्षेत्र (टोडारायसिंह)			
36		श्रीनगर	कुकड़			
37		सूरजपुरा	मोर			
38		टोडारायसिंह	नगरपालिका क्षेत्र (टोडारायसिंह)			

प्ररूप-2

(नियम 5 देखिए)

भाग-ख

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

(क)	परियोजना विकास कर्ता का नाम	महाप्रबन्धक,आरडब्ल्यूजीसीएल, पी.आई.यू.अजमेर
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र	जिला अजमेर के तहसील नसीराबाद ,अराई एवं टोंक के तहसील मालपुरा , टोडारायसिंह में मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर का निर्माण एवं बीसलपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर तक फीडर निर्माण परियोजना के निर्माण से तहसील नसीराबाद ,अराई मे 718.02 एवं मालपुरा, टोडारायसिंह मे 418.98 कुल क्षेत्रफल 1137.00 हेक्टर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1)	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण

	परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई	(3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा या नगरपालिका या यथास्थिति, नगरनिगम और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अन्तिम परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान प्रपीड़न या धमकी का कोई प्रयास कार्यवाही को अकृत और शून्य बना देगा।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी।	महाप्रबन्धक, आरडब्ल्यूजीसीएल. पी. आई. यू. अजमेर

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।